न्यायालय विशेष न्यायाधीश **(**द०प्र०क्षे०अधि०**)**/ अपर सत्र न्यायाधीश **,** कोर्ट नं०-**8** इटावा।

उपस्थितः- डा० विजय कुमार **,.....**एच**.**जे**.**एस**.**

प्रतिभू प्राथर्नापत्र संख्या- **65/2020**

CNR NO UPEW01000098- 2020

नितिन पुत्र रघुवीर बाथम उम्र करीब 28

निवासी बरालोकपुर थाना चौबिया जिला इटावा।

.....आवेदक /अभियुक्तगण

बनाम

उ०प्र० राज्य

विशेष वाद सं० 118 /2018

सुभाष चन्द्र बनाम राजकिशोर उर्फ पप्पू आदि

धारा- 392,364,325 भा०द०स०

थाना चौबिया जिला-इटावा।

दिनांक **13.1.2020**

प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र प्रार्थी/अभियुक्त नितिन की ओर से विशेष वाद सं० 118 /2018 अन्तर्गत धारा–392,364,325 भा०द०स० भा०द०स० सुभाष चन्द्र बनाम राज किशोर उर्फ पप्पू आदि थाना चौबिया जिला–इटावा में प्रस्तुत किया गया है। आवेदक /अभियुक्त उक्त अभियोग में आत्म समर्पण कर न्यायिक अभिरक्षा में निरूद्ध है।

संक्षेप में अभियोजन (परिवाद) कथानक इस प्रकार है कि दिनांक 14-4-2018 को शाम करीब 8.00 बजे परिवादी के कस्बा के विपक्षीगण राज किशोर आदि ने उसके पडोसी घनश्याम दास गुपता की दुकान पर लूटपाट की थी और हमला कर चोटें पहुंचायी थी। तब परिवादी के पुत्रगण सचिन व नितिन उर्फ प्रशांक अपने बाबा की दुकान से जान बचाकर पास में ही दुकान व मकान कौशल मोबाइल सेन्टर कस्बा बरालोकपुर आ गये । तभी समय करीब 8.15 बजे शाम राज किशोर उर्फ पप्पू उसके साथी नितिन पुत्र रघुवीर बाथम,लाल सिंह ,सदन सिंह व प्रेमनारायन एवं दो अज्ञात व्यक्तियों ,सभी ने लाठी डण्डा व लोहे की रॉड से लैस होकर उसकी दुकान में घुसकर आये गाली गलौज किया व जान से मारने की धमकी दी तथा हाथों में लिए हथियारों से परिवादी के पुत्र सचिन व नितिन उर्फ प्रशांक बचाने लगे तो इन लोगों ने उसके बच्चों व मां शारा देवी व बहू निशा देवी को बेइज्जत करने के लिए बहू का ब्लाउज फाड दिया तथा दुकान से दो मोबाइल सैमसंग व गोलक से विक्री के 4220 रू० जबरन लूट लिये। विपक्षीगण परिवादी के पुत्र सचिन व नितिन उर्फ प्रशांक को अपने मकान में कैद कर लिया । पुलिस ने उसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं किया तो उसने दिनांक 18-6-18 को

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को जरिये डाक प्रार्थनापत्र दिया परन्तु कोई कार्यवाही नहीं की गयी।तदोपरान्त परिवाद योजित किया गया।

अभियुक्त की ओर से यह कथन किया गया है कि आवेदक/अभियुक्त को उक्त मुकदमें में रंजिशन झूठा फंसाया गया है और न्यायालय द्वारा परिवाद में धारा 392/364/325 भा०द०सं० में आहूत किया गया है। प्रार्थी को उनके कस्बा के सुभाषचन्द्र द्वारा अप०सं० 102/2018 के मुकदमें से बचने के लिए असत्य तथ्यों के आधार पर लिप्त किया गया है। परिवाद कथानक असत्य तथ्यों पर आधारित है। कथित घटना की कोई प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित नहीं हुई है । उक्त आधारों पर जमानत पर मुक्त करने की याचना की गयी है। अपने कथनों के समर्थन में अ० सं० 102/2018 की प्रति प्रस्तुत की गयी है।

आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दण्ड) को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दण्ड) एवं परिवादी के निजी अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया ,सह अभियुक्त राज किशोर उर्फ पप्पू व प्रेम नरायन जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जा चुके है। जमानत का कोई पर्याप्त आधार नहीं है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का मुख्य तर्क है कि परिवादी द्वारा असत्य घटना बनाकर व अ०सं० 102/2018 से बचने के लिए परिवाद प्रस्तुत किया गया है। परिवाद कथानक असत्य है। अभियुक्त 8–1–20 से अन्तरिम जमानत पर है।

पत्रावली के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि न्यायालय के आदेश दिनांक 19–9–2019 द्वारा अभियुक्त को अन्य सह राज किशोर उर्फ पप्पू, लालसिंह सदन सिंह व प्रेमनरायन के साथ प्रथम दृष्टया अपराध अन्तर्गत धारा 392/364/325 भा०द०सं०का पाते हुए विचारण हेतु आहूत किया गया है।

अभियोजन पक्ष की ओर से आवेदक/अभियुक्त नितिन का कोई आपराधिक इतिहास होने एवं पूर्व दोषसिद्ध होने का कोई कथन नहीं किया गया और न ही दिनांक 21.12.19 को पंजीकृत मुकदमें में उक्त अभियुक्त को नामित किये जाने का कथन किया गया है।

अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों परिस्थितियों एवं पत्रावली पर उपलब्ध प्रपत्रों को देखते हुए यह न्यायालय इस स्तर पर मामले के गुण–दोष पर कोई मत व्यक्त किये बिना प्रार्थी /अभियुक्त नितिन को जमानत पर रिहा किये जाने का पर्याप्त आधार पर्याप्त पाता है और उसका जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थी /अभियुक्त नितिन की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा **50,000/**–रूपये(पचास हजार रूपये) का स्वबन्ध पत्र एवं समान धनराशि की दो-दो प्रतिभू, प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाये।

(डा०विजय कुमार)

दिनांक 13-1-2020

विशेष न्यायाधीश **(**द०प्र०क्षे०अधि०**)/**
अपर सत्र न्यायाधीश**,**कोर्ट नं०-**8**
इटावा।